



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112021-231305
CG-DL-E-23112021-231305

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672]
No. 672]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021
(आय-कर)

सा.का.नि. 831(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 285ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बत्तीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 52क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप 52क

[नियम 121क देखिए]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 285ख के अधीन चलचित्र फिल्म के निर्माण के संबंध में निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाला विवरण

क्रम सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
1.	निर्माता का नाम और पता	निर्माता के ब्यौरे
		नाम

		प्रास्थिति	
		आवासिक प्रास्थिति	
		स्थायी खाता संख्यांक	
		कर कटौती खाता संख्यांक	
		पता	
2.	सुसंगत पूर्ववर्ष		
3.	फिल्म के ब्यौरे	फिल्म का नाम	
		फिल्म की प्रकृति	सेलूलायड फिल्म
			सेलूलायड फिल्म से भिन्न
4.	तारीख, जिसको फिल्म का निर्माण आरंभ किया गया था		
5.	यदि फिल्म का निर्माण पूरा हो गया है, तो पूरा होने की तारीख		
6.	वित्तीय वर्ष, जिससे विवरण संबंधित है		
7.	निर्माता द्वारा कुल मिलाकर 50,000 रुपए से अधिक के या उससे फिल्म के निर्माण में कर्मचारी के रूप में या अन्यथा लगे प्रत्येक व्यक्ति को उससे शोध्य संदायों के ब्यौरे		
	(i)	व्यक्ति के ब्यौरे, जिसको संदाय किया गया है या शोध्य है	
		व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का पता
			व्यक्ति का स्थायी खाता संख्यांक
	(ii)	उपरोक्त (i) में उल्लिखित व्यक्ति को किए गए संदाय के ब्यौरे	
		रकम	वह तारीख, जिसको संदाय किया गया था या शोध्य हुआ था
		क्या संदाय नकद रूप में किया गया है	स्रोत पर कर काटा गया है या नहीं
		यदि हां, तो नकद रूप में संदत्त की गई रकम	
	कुल संदत्त रकम		

सत्यापन

मैं,, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि जो ऊपर कहा गया है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। आज तारीख को सत्यापित किया गया।

स्थान :

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर।”।

[अधिसूचना सं. 132/2021/फा. सं. 370142/55/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, (टीपीएल-IV)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713(अ) तारीख 01 अक्टूबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 831(E).—In exercise of the powers conferred by section 285B read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Income tax (32nd Amendment), Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II, for Form No. 52A, the following Form shall be substituted, namely:—

“FORM NO. 52A

[See rule 121A]

Statement to be furnished to the Assessing Officer under section 285B of the Income-tax Act, 1961, in respect of production of a cinematograph film

Sr. No.	Particulars	Details	
1.	Name and address of the producer	Details of Producer	
		Name	
		Status	
		Residential status	

		Permanent Account Number		
		Tax Deduction Account Number		
		Address		
2.	Relevant previous year			
3.	Details of the film	Name of the Film		
		Nature of the Film	Celluloid Film	
			Other than Celluloid Film	
4.	Date on which the production of the film was started			
5.	If the production of the film has been completed, the date of completion			
6.	Financial year to which the statement relates			
7.	Details of payments of over Rs. 50,000 in the aggregate made by the producer or due from him to each person engaged in the production of the film as employee or otherwise:			
	(i)	Details of the person to whom payment has been made or is due		
		Name of the Person	Address of the Person	PAN of the Person
	(ii)	Details of payment made to person mentioned in (i) above		
	Amount	Date on which payment	Tax deducted at	
	Whether paid in cash	was made or became due	source or not	
	if yes, then amount			

		paid in cash			
		Total amount paid			

Verification

I _____, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief.
Verified today, the day of _____

Place:

Date:

Signature of the Authorised Signatory.”.

[Notification No. 132/2021/F. No.370142/55/2021-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy. (TPL-IV)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R. 713(E), dated the 01st October, 2021.